

आदेश

आयुधिक संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत/सेवानिवृत्त आयुधिक निरीक्षक/आयुधिक अवर निरीक्षक को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ देने हेतु संबंधित क्षेत्रीय पर्वदों से प्राप्त मनोनयन के आधार पर महानिदेशक पर्वद द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम-04 में अंकित तिथियों के प्रभाव से ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/जन्म तिथि/वर्तमान पदस्थापन	सिपाही के पद पर नियुक्ति की तिथि	देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	आयुद्धिक अ०नि० अरविन्द कुमार/04.05.67/नालंदा	03.05.86	पूर्व में प्रदत्त द्वितीय एम०ए०सी०पी० को संशोधन करते हुए दिनांक-03.05.10 द्वितीय ए०सी०पी० अनुमान्य तथा दिनांक-03.05.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० अनुमान्य	
2	आयुद्धिक अ०नि० उमेश चन्द्र सिंह/20.08.63/पटना	16.03.86	दिनांक-16.03.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० अनुमान्य	
3	आयुद्धिक अ०नि० नागेन्द्र मिश्रा/20.06.65/24.02.86/बगहा	24.02.86	पूर्व में प्रदत्त द्वितीय एम०ए०सी०पी० को संशोधन करते हुए दिनांक-24.02.10 से द्वितीय ए०सी०पी० अनुमान्य तथा दिनांक-24.02.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० अनुमान्य	
4	आयु.अ०नि० रामनरेश राय/07.05.60/सि.प्र.वि. नाथनगर	06.06.86	पूर्व में प्रदत्त द्वितीय एम०ए०सी०पी० को संशोधन करते हुए दिनांक-06.06.10 से द्वितीय ए०सी०पी० अनुमान्य तथा दिनांक-06.06.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० अनुमान्य	
5	से.नि. आयु.अ.नि. ददन सिंह/19.09.55/सि०प्रशि०केन्द्र, नाथनगर	19.12.75	दिनांक-01.01.09 से तृतीय एम०ए०सी०पी० अनुमान्य	
6	इन्दु नाथ मिश्रा/आयुधिक नि०/05.12.59/उ०म०नि० कार्या०	03.09.82	पूर्व में प्रदत्त तृतीय एम०ए०सी०पी० दिनांक--02.07.12 को संशोधन करते हुए दिनांक--03.09.12 से तृतीय एम०ए०सी०पी० अनुमान्य	

1. ए०सी०पी० देय होने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-3 एम-2-5-वे०पु०-28/99 4685 वि० (2) दिनांक-25.06.2003 की सूची में यथावर्णित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लिए वेतनमानों की सूची के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा।
2. एम०ए०सी०पी० देय होने की स्थिति में वित्त विभाग संकल्प संख्या-3 ए-2-वे०पु०-18/2009 7566, दिनांक-14.07.2010 की परिशिष्ट-1 की कंडिका-4 एवं 5 में वेतन निर्धारण संबंधित यथावर्णित बिन्दुओं के अनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।



3. भूलवश या अद्यतन सूचना के अभाव में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ हेतु योग्य पाये गये आयुधिक निरीक्षक/आयुधिक अवर निरीक्षक के संबंध में कोई ऐसी सूचना कालांतर में प्राप्त होती है, जिसके कारण देय तिथि को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ देय नहीं होगा तो इस क्रम में भुगतान की गई राशि की नियमानुसार वसूली कर ली जाएगी।
4. आयुधिक निरीक्षक/आयुधिक अवर निरीक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही/विभागीय जाँच/फौजदारी मुकदमा आदि लंबित रहा हो, जिसमें घटना की तिथि देय तिथि से पूर्व हो या ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ देय तिथि के पूर्व से वृहद सजा प्रभावी हो तो उनके ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ लंबित रखते हुए अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

(Handwritten Signature)

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....221/415997...../पी०३

20-01-07-2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 08-03-2019

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना/मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/पूर्वी प्रक्षेत्र, भागलपुर/सैन्य पुलिस, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर/चम्पारण क्षेत्र, बेतिया/उत्तरी मंडल, मुजफ्फरपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, नालंदा/बगहा/प्राचार्य, सि०प्रशि०केन्द्र, नाथनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. आई०टी०मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)
बिहार, पटना।

(Handwritten Note)
C.No- 75836/2019
D-5- 8/3/19